नम्बर व ... इस हुक्म ...	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.04.26	पत्रावली पेश हुई।	

दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित।

दोनो पक्षो के विद्वान अधिकाओं की बहस सुनी गई

अपीलाष्ट वकील की बहस है कि ग्राम इटवाया तहसील सिवाना की खसरा संख्या 1485 रकबा 64.17 बीघा व ग्राम पंऊ तहसील सिवाना के खसरा संख्या 52 रकबा 106 बीघा भूमि आई हुई है जो दूदाराम के खातेदारी की थी, अपीलाट संख्या 1 से 3 स्वर्गीय दूदाराम के जायन्दा पुत्रियां तथा रेपोडेन्ट संख्या 1 से 3 स्व. दूदाराम के पुत्र व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 स्व. दूदाराम के पौत्र है। स्व. दूदाराम के फौत होने पर स्व. दूदाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान पुत्र व पुत्रियां जो अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम जरिये फौतदगी नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना था परन्तु तत्कालीन हल्का पटवारी ने स्व.दूदाराम के पुत्र संतान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 व 4 4 5 के पिता हाजराराम के नाम से नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया, जबकि विधिक तौर से स्व.दूदाराम के निर्वसीयत फौत होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार स्व. दुदाराम के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान अपीलाण्ट एव रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 तथा 4 व 5 के पिता के नाम से नामान्तरकरण बहिस्सा बराबर 1/7–1/7 दर्ज किया जाना था, हल्का पटवारी ने गलती के कारण अपीलाण्ट का नाम अवैध व अनुचित तरीके से दर्ज कर दिया, नामान्तरकरण से न तो किसी के विधिक हक समाप्त ही होते है न ही ऐसे त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण से किसी को हक ही अर्जित होता है, अपीलाण्टगण द्वारा रेस्पोडेन्ट 1 ता 5 के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना में विवादित भूमियों के सम्बन्ध में बाबत खातेदारी अधिकार घोषणा के अनुतोष का वाद पत्र व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है। माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध मौका एवं रेकर्ड यथावत बनाये रखने का स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है। रेस्पोडे[illegible] पुत्र भीमसिंह ने स्थगन आदेश विचाराधीन [illegible] आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 29[illegible] दिनांक 13.03.202[illegible] अवैध व अनुचित तरीके से विधि [illegible] से जान बुझकर रेस्पोडेन्ट संख्या [illegible].03.2024 को स्वीकृत करवा कर दिनांक 14.03.2024 को रेस्पोडेट पार्टी संख्या 2 जालमसिंह द्वारा विवादित भूमि का 1/4 हिस्सा रेस्पोडेन्ट पार्टी संख्या 3 जोधसिह पुत्र मांगसिंह व सोहनलाल पुत्र भागीरथराम को जरिये रजिस्टर्ड विक्रेय विलेख बेचान कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:43:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दिया व उसी दिन आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 2021 दिनांक 14.03.2024 रेस्पोन्ट संख्या के द्वारा स्वीकृत किया गया जो कानूनी एवं विधिक आधार पर काबिज अपास्त निरस्त योगा है रेस्पोन्ट संख्या 3 शंकरलाल जिसका विधिक हिस्सा 1/7 था ने गलत फौतदगी म्यूटेशन की आज में विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा बात कर रेस्पोडेन्ट पार्टी संख्या 2 जालमसिंह को बेचान कर दिया तथा उक्त गलत एवं प्रभावहीन बेचान की आड़ में रेस्पीडेंट पार्टी संख्या 2 ने दिनांक 14.03.2024 को ही पार्टी संख्या 3 जोधसिंह व सोहनसिंह को जरिये रजिस्टर्ड बेचान कर दिनांक 14.03.2024 को नामातारकरण प्रपत्र भर कर रेस्पोडेन्ट संख्या 9 तहसीलदार को रामक्ष पेश कर उसी दिन दिनांक 14.03.2024 को तहसीलदार द्वारा पूर्णतया अवैध अनुचित एवं विधि विरुद्ध जाकर आलौच्य नामान्तरकरण को आनन–फानन में स्वीकृत कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 शंकरराम का विवादित भूमि में 1/7 हिस्सा बनता है उससे अधिक न तो शंकरराम को हक हिस्सा बेचान करने का अधिकार है तथा न ऐसा बेचान वैध हो सकता है. रेस्पोडेन्ट शंकरराम के द्वारा रेस्पोडेंटगण पार्टी सं 2. जालमसिंह के पक्ष में किया गया बेचान हिस्सा 1/4 अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रभावशून्य है तथा ऐसे अवैध, अनुचित एंव प्रभाव शून्य बेचान से रेस्पोडेण्ट पार्टी संख्या 2 को कोई हक हिस्सा 1/7 से ज्यादा अर्जित नहीं होने के कारण आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 2921 दिनांक 14.03.2024 पूर्णतया विधि विरुद्ध होने से काबिल अपास्त निरस्त है, विधि के तहत व्यथित पक्षकार को बिना सुने उक्त आलौच्य नामान्तरकरण पारित किया गया है, जो नैसर्गिक विधि के सिद्धान्त का उल्लंघन कर पारित किया गया है उक्त आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण काबिल अपास्त निरस्त योग्य है. अलौच्य नामान्तरकरण संख्या 2921/14.03.2024 पूर्णतया विधि विरूद्ध एवं अनैतिक आचरण से लिप्त होने से काबिल अपास्त निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्टगण अधिवक्ता की बहस है कि अपीलाण्टगण द्वारा माननीय सहायक न्यायालय सिवाना में विवादित भूमि का घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो लम्बित है उक्त वाद पत्र में डिकी जारी नहीं हुई है. तहसीलदार सिवाना द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ तब विवादित भूमि पर स्थगन आदेश [illegible] था, आलौच्य नामान्तरकरण तहसीलदार सिवाना [illegible] हुआ है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की [illegible] 75 के अनुसार तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण की अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर अथवा माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर के समक्ष की जा सकती है, आलौच्य नामान्तरकरण की अपील विधि विरुद्ध होने से काबिल खारिज हैं। आलौच्य नामान्तकरण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:43:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपास्त निरस्त फरमाया जावे।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 2921/14.03.2024 को तहसीलदार सिवाना द्वारा स्वीकृत किया गया है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अनुसार तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरकरण की अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर एवं माानीय न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर द्वारा सुनी जाती हैं। आलौच्य नामान्तरकरण तहसीलदार सिवाना द्वारा स्वीकृत होने से उक्त अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार अदालत हाजा को प्राप्त नहीं के कारण उक्त अपील अस्वीकार किया जाकर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। ।

निर्णय आज दिनांक 10.04.26 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:43:59 IST
Reason: SelfAttested